



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ज्येष्ठ 31, 1940

No. 2281]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2018

का.आ. 3018(अ).—संशोधन हेतु अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव रखती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार उसके द्वारा संभवतया प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की समयावधि पर अथवा उसके बीत जाने पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में शामिल प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने वाला इच्छुक व्यक्ति, ऐसी विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित में अग्रेषित कर सकता है अथवा gyanesh.bharti@ias.nic.in और sharath.kr@gov.in ई-मेल पते पर भेज सकता है।

प्रारूप संशोधन अधिसूचना

और जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (2) के खंड (V) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी किए तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1533 (अ) द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया कि इसके प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से भारत के किसी भी भाग में परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के अपेक्षित निर्माण का कार्य अथवा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध की गई मौजूदा परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के विस्तारण अथवा आधुनिकीकरण का कार्य, जिसमें प्रकिया अथवा प्रौद्योगिकी अथवा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता संवर्धन आवश्यक है, को केन्द्रीय सरकार से अथवा जैसा मामला हो, उक्त अधिनियम

की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट कार्यविधियों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किए गए राज्य स्तर के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।

और जबकि, उक्त मंत्रालय को परियोजनाओं के अंदर अथवा कार्यकलापों, जिनके लिए ईसी प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की अपेक्षा से छूट प्राप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

अब, इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, जो सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 7(ज) के लिए और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

परियोजना अथवा कार्यकलाप		शुरूआती सीमा सहित श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		पर्यावरणीय मेराओं सहित भौतिक अवसंरचना		
7(ज)	साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	-	सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी नोट: परियोजनाओं के अंदर अथवा कार्यकलापों, जिनके लिए ईसी प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु ईसी की अपेक्षा से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. 22-28/2018-आईए-III]

जिगमैत टक्पा, संयुक्त सचिव

नोट: ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा इन नियमों में संशोधन किया गया था :-

1. का.आ. 1737 (अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2007;
2. का.आ. 3067 (अ), दिनांक 01 दिसम्बर, 2009;
3. का.आ. 695 (अ), दिनांक 04 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 156 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2012;
5. का.आ. 2896 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2012;
6. का.आ. 674 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2013;
7. का.आ. 2204 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2013;
8. का.आ. 2555 (अ), दिनांक 21 अगस्त, 2013;
9. का.आ. 2559 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2731 (अ), दिनांक 09 सितम्बर, 2013;
11. का.आ. 562 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2014;

12. का.आ. 637 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 1599 (अ), दिनांक 25 जून, 2014;
14. का.आ. 2601 (अ), दिनांक 07 अक्टूबर, 2014;
15. का.आ. 2600 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2014;
16. का.आ. 3252 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2014;
17. का.आ. 382 (अ), दिनांक 03 फरवरी, 2015;
18. का.आ. 811 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2015;
19. का.आ. 996 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2015;
20. का.आ. 1142 (अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1141 (अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1834 (अ), दिनांक 06 जुलाई, 2015;
23. का.आ. 2571 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2015;
24. का.आ. 2572 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2015;
25. का.आ. 141 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2016;
26. का.आ. 648 (अ), दिनांक 03 मार्च, 2016;
27. का.आ. 2269 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016;
28. का.आ. 3518 (अ), दिनांक 23 नवम्बर, 2016; और
29. का.आ. 3999 (अ), दिनांक 09 दिसम्बर, 2016;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2018

S.O. 3018(E).—The following draft of the amendment notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are published and:

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address gyanesh.bharti@ias.nic.in and sharath.kr@gov.in

DRAFT AMENDMENT NOTIFICATION

Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or

modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received requests, for exemption of Environment Clearance (EC) for CETPs setup for or within projects or activities which do not require EC.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification which shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the schedule, for item 7(h), and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 Physical infrastructure including Environmental Services				
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)	-	All projects	General Condition shall apply Note : EC for CETPs setup for or within projects or activities which do not require EC are exempted.

[F. No. 22-28/2018-IA.III]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
5. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
6. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
7. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
8. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
9. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
10. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
11. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
12. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
13. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
14. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;

15. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
16. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
17. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
18. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
19. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
20. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
21. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
22. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
23. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
24. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
25. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
26. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
27. S.O. 2269 (E) dated the 1st July, 2016;
28. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016; and
29. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016.